कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0,
देहरादून।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंयाताल–त्यूंखर–चिरबटिया–लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु। **FP/UK/ROAD/10497/2015**

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, पौड़ी, उत्तराखण्ड, के पत्रांक 3844 / 12–1(2) दिनांक 30–06–2017 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	प्रस्ताव पंयाताल–त्यूंखर चिरबटिया लस्या मोटर मार्ग के नाम से प्रेषित किया गया है। परन्तु प्रस्ताव पर जी.ओ. रिफरेन्स मैप मयाली थापली मोटर मार्ग का संलग्न है। स्थिती स्पष्ट करें।	सम्बन्धित सूचना को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा part I के C-(iv) में अपलोड कर दिया गया है।
2	डिजिटल मैप में starting and end points प्रारम्भ व अन्तिम स्थल का नाम अंकित किया जाय।	सम्बन्धित सूचना को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा part I के C(-iii) में अपलोड कर दिया गया है।
3	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी0 पर latitude and longitude सहित अंकित किया जाय।	सम्बन्धित सूचना को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा part I के C-(iv) में अपलोड कर दिया गया है।
4	डिजिटल मानचित्र के वैकल्पिक समरेखण latitude and longitude सहित अंकित किया जाय।	सम्बन्धित सूचना को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा part I के D(ii-a) में अपलोड कर दिया गया है।
5	मार्ग जहाँ से प्रारम्भ हो रहा है उससे पूर्व निर्मित मार्ग का नाम दर्शाया जाय एवं भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न करें।	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का नाम कोट लौगा मोटर मार्ग है, जिसकी स्वीकृति का पत्र संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रस्तावित मार्ग आरक्षित वन भूमि से शुरू होकर आरक्षित वन भूम पर ही समाप्त हो रहा है। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नही की जा रही है। अतः सही समरेखण का चयन किया जाय।	प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 2.00 किमी0 है जिस कारण मोटर मार्ग आरक्षित वनभूमि से शुरू होकर आरक्षित वन भूमि पर ही सामप्त हो रहा है। यह समरेखण ही एकमात्र न्यून व उचित है, जिससे धनौली गांव लभावन्वित होगा।
7	वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र मात्र 01 गांव का ही संलग्न है, जबकि प्रस्ताव के अनुसार 05 ग्राम लाभान्वित होने का उल्लेख है। सभी ग्राम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। ग्राम सभा उपस्थिति पत्र में दिनाक 10–01–2015 का उल्लेख है जबकी प्रमाण पत्र में दिनांक 26–11–2014 का उल्लेख है। अतः उक्त विरोधाभाष को सही कर प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें।	वन अधिकारी अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र मात्र 01 गांव का ही संलग्न है, क्योकि वर्तमान में एक ही गांव लाभान्वित हो रहा है। जो कि प्रस्ताव में ठीक कर दिया गया है, ग्राम सभा उपस्थिति पत्र में दिनांक 10–01–2015 के स्थान पर दिनांक 26–11–2014 मानवीय त्रुटि के कारण अंकित कर दी गयी थी, जिसका निराकरण कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव में उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र छाया प्रति में संलग्न किया गया है। मूल प्रति में संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र में परियोजना का क्षेत्रफल कही पर 1.4 है0 एवं कही पर 0.91 है0 का उल्लेख है। अत– उक्त का विरोधभाषा को सही किया जाय।	सम्बन्धित सूचना को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा part I के k(-i-a) में अपलोड कर दिया गया है।
9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण गूगल मानचित्र के स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार जी0ओ0 रिफरेन्स मैप में बनाकर पोलिगन के रूप में चारों कोनों के latitude and longitude सहित .shape में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय। मानचित्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी अपेक्षित है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण गूगल मानचित्र के स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार जी0ओ0 रिफरेन्स मैप में बनाकर पोलिगन के रूप में चारों कोनों के latitude and longitude सहित .shape में DSS से मिलान को section L-iv के form A Part I में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव के अनुसार धनौली तक मार्ग बनाया जाना है। प्रस्ताव में वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाय अन्यथा संशोधित वित्तीय संलग्न करें।	प्रस्ताव की स्वीकृति लम्बाई 2.00 किमी0 के अनुसार मोटर मार्ग धनौली तक ही बनाया जाना सम्भव है। प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के अनुसार ही प्रेषित किया जा रहा है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–01 में परियोजना के नाम का उल्लेख नही किया गया है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–01 में परियोजना के नाम का उल्लेख कर दिया या है।

12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–2 में मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखण उपलब्ध होने का उल्लेख है, जबकि मानचित्र में एक ही समरेखण दर्शाया गया है। अन्य वैकल्पिक समरेखण को दर्शाते हुए उसके निरस्त करने के कारणों का भी उल्लेख किया जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र–2 में मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखण उपलब्ध होने का उल्लेख है, उक्त सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा part I के D-ii-a में अपलोड कर दिया गया है।
13	वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र 3 को प्रस्ताव में संलग्न करें।	वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र 3 को प्रस्ताव में संलग्न है,
14	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में राजस्व विभाग एवं अन्य ग्राम सभा के प्रतिनिधि की उपस्थिति का उल्लेख नही है। स्थिति स्पष्ट की जाय।	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में राजस्व विभाग और से राजस्व उपनिरीक्षक ने प्रतिभा किया, जिनके हस्ताक्षर प्रस्ताव में कराये गये है। अन्य ग्राम सभा के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिनकी अनापत्ति संलग्न की गयी है।
15	प्रस्तावित समरेखरण से वृक्ष अधिक प्रभावित हो रहे है, किन्तु मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र नाप भूमि पर दो व्यक्तियों का संलग्न किया गया है।	सम्बन्धित सूचना को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा part II के 13 (vii) में के additional information में अपलोड कर दिया गया है।
16	एस0आई0आर में तिथि अंकित की जाय।	एस0आई0आर में तिथि अंकित कर दी गई है।
17	मनचित्र पर मलवा निस्तारण आरक्षित वन भूमि में है किन्तु मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र नाप भूमि पर दो व्यक्तियों का संलग्न किया गया है।	मनचित्र पर मलवा निस्तारण आरक्षित नाप भूमि मे दर्शा दिया गया है, भू–स्वामियों की अनापत्ति संलग्न कर दी गयी है।
18	प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	ले आउट प्लान मदवार विवरण में मार्ग निर्माण किमी0 3 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होने का उल्लेख है जबकि संयुक्त निरीक्षण में मार्ग निर्माण किमी0 2 से आरम्भ होना अंकित है। वित्तीय स्वीकृति रू0 73.50 लाख की है जबकि प्रमाण पत्र में रू0 25.20 लाख का उल्लेख है, विरोधभाषा सही किया जाय।	ले आउट प्लान मदवार विवरण में मार्ग निर्माण किमी0 3 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होने का उल्लेख है जबकि संयुक्त निरीक्षण में मार्ग निर्माण किमी0 2 से आरम्भ होना अंकित है। वित्तीय स्वीकृति रू0 73.50 लाख की है। मानवीय त्रुटि के कारण प्रमाण पत्र में रू0 25.20 लाख का उल्लेख है, यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
20	एनपीवी आंकलन सही प्रतीत नहीं होता है।	एनपीवी आंकलन कर part II के 13-vii additional infomation SR.No-2 में सही कर अपलोड कर दिया गया है।
21	प्रस्ताव में छाया प्रति के स्थान पर मूल प्रति संलग्न की जाय।	प्रस्ताव में छाया प्रति के स्थान पर मूल प्रति संलग्न कर दी गई है।
22	मक डिस्पोजल मानचित्र जियो रिफरेन्स मैप में बनाकर संलग्न करें।	मक डिस्पोजल मानचित्र जियो रिफरेन्स मैप में बनाकर part I के Setion C(-iv) में अपलोड कर दिया गया है।
23	फलूड एंव ओवर राईटिंग प्रमाण पत्रों को भारत सरकार द्वारा मान्य नही है।	फलूड के प्रयो वाले प्रपत्रों को दुबारा बनाकर अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(विनीत कुमार पांगती)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी